(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1345—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—02—2017 के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर का प्रकरण कमांक निगरानी 3188—एक/16.

.....

श्यामलाल गर्ग पुत्र नंदलाल गर्ग
निवासी टोपी बाजार श्योपुर तहसील
व जिला श्योपुर म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1— मध्य प्रदेश शासन
2— आयुश गर्ग पुत्र कमल किशेर
निवासी सूबात कचहरी के सामने
श्योपुर तह0 व जिला श्योपुर

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 पी0 पालीवाल पैनल अभिभाषक अना0 क01
श्री आर0 डी0 शर्मा अभिभाषक, अनावेदक क02

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह रिव्यु न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—02—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पड़ासल्या स्थित भूमि सर्वे न0 96 में से रकबा 21 बीघा 4 विस्वा भूमि की भूमिस्वामी मृतक भगवतनी पत्नी स्व0 नंदलाल थी उनकी मृत्यु के उपरांत वसीयतनामे के आधार पर आवेदक आयुष पुत्र कमल किशोर का नामांतरण नायब तहसीलदार वृत्त मानपुर जिला श्योपुर द्वारा आदेश दिनांक 6.12.03 को किया

गया, इस आदेश के विरूद्व आवेदक श्यामलाल गर्ग एवं एक अन्य व्यक्ति अशोक कुमार गर्ग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 31.8.15 को अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील अवधि वाह्य होने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक 27.6.16 द्वारा निरस्त की। उससे परिवेदित होकर न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 15.2.17 को निरस्त की गई, इससे दुखित होकर यह रिव्यु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में अपने तर्क प्रस्तुत कर यह आधार बताये है कि विवादित आदेश के पद –6 में न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपील योग्य आदेश होने से निगरानी निरस्ती योग्य है, ऐसी स्थिति में निगरानी प्रकरण में गुण दोष पर विचार किये जाने का कोई प्रश्न ही न था तथा आदेश के पद –7 में प्रकरण के गुण दोष पर भी विचार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधि सम्मत होना माना गया है जब कि गुण दोष पर विचार किये जाने के समय प्रार्थी की आपत्तियों पर जिनका उल्लेख विवादित आदेश के पद –3 एवं निगरानी मेमों में किया गया है, पर सहवन न तो कोई विचार ही किया गया है और न उनका निराकरण ही किया गया है, यह भूल ऐसी प्रत्याक्षदर्शी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी आधार बताया गया है कि प्रारंभिक न्यायालय का आदेश नामांतरण के मैनेडेटरी प्रावधानों का पालन किये बिना पारित होने से अधिकारिता रहित होकर शून्य एवं निष्प्रभावी है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक का रिव्यु स्वीकार कर निगरानी प्रकरण कमांक 15.2.17 का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता कमांक–2 द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई है उसमें उनके द्वारा तर्क किया गया है कि पुनर्विलोकन के पैरा 2 में माननीय इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैरा 6 का उललेख किया गया है, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पेरा 6 में निकाला गया निष्कर्ष विधि के अनुरूप हैं, इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह पुनर्विलोकन निरस्त किये जाने योग्य है । इसी प्रकार इसी पैरा में यह आपत्ति उठाई गयी है कि

जब अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपील योग्य माना गया है तब प्रकरण के गुण दोषों पर विचार किये जाने का कोई प्रश्न शेष नहीं था आवेदक द्वारा यह उठायी गयी आपत्ति एवं किये गये मौखिक तर्को के परस्पर विरोधी है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने लेखी बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक की प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिसीमा के प्रश्न पर समय वर्जित मानकर खारिज की गयी है तब ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य नहीं है इस संदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय हैं :–**पुनर्विलोकन याचिका कमांक 258/2017 निर्णित दिनांक 28.07.2017** उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा निगरानी में पारित आक्षेपित आदेश में उभय पक्ष द्वारा उठायी गयी समस्त आपत्तियों का निराकरण किया गया है। इस कारण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योगय नहीं है। इस संदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है। **1992 राजस्व निर्णय 247, 1998 राजस्व निर्णय 182, 2001 राजस्व निर्णय 290,** अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन सारहीनहोने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये । अनावेदक कमांक–1 शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि निगरानी में किया आदेश दिनांक 15.2.17 उचित होने से स्थिर रखा जावे। अनावेदकगण के अधिवक्तागण के तर्क से अथवा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन में जिन तथ्यों को दौहराया गया था उनका जबाव अनावेदक कमांक–2 द्वारा अपनी लेखी बहस में दिया गया था। प्रकरण कमांक निगरानी 3188–एक/2017 में आदेश दिनांक 15.2.17 से किया जा चुका हैं रिव्यु प्रकरण कमांक 1345–दो/2017 में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप इस न्यायालय का प्रकरण कमांक 3188–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिव्यु सारहीन होने से अग्राह किया जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर